

**आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर**

**श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य तथा**  
**सुश्री मधुमिता राँय, न्यायिक सदस्य के समक्ष**  
**आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से**

**आ.अ.सं. 224 से 230/इंदौर/2020**

**निर्धारण वर्ष : 2012-13 से 2015-16**

शांति सीड प्रा.लि, भोपाल	बनाम	संयुक्त आयकर आयुक्त, सेंट्रल रेंज, भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएसीसीएस 1447 सी		
अपीलार्थी की ओर से :		श्री कुणाल अग्रवाल, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से :		श्री हर्षित बारी, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि :		25.06.2021
उद्घोषणा तिथि :		25.06.2021

**आदेश**

**श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्वारा**

निर्धारण वर्ष 2012-13 से 2015-16 के लिए निर्धारिती द्वारा ये अपीलें विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-3, भोपाल के आयकर अधिनियम, 1961 के धारा 271 डी तथा 271ई के अधीन आदेश दिनांक 23.04.2019 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई हैं ।

2. इन अपीलों की सुनवाई के दौरान निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारिती को सुनवाई का कोई उचित, तर्कसंगत तथा सार्थक अवसर नहीं दिया गया था। विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रकरणों के गुणागुण का उचित रूप से परीक्षण किए बिना आक्षेपित एक पक्षीय आदेश पारित किया था। इसके अतिरिक्त क्वांटम अपीलों को भी माननीय अधिकरण द्वारा विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) की फाईल में प्रतिप्रेषित किया गया है। अतः यह अनुरोध किया गया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) को इस संबंध में निदेश दिए जाए। दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशों पर निर्भरता रखी परंतु निर्धारिती के निवेदनों का खंडन नहीं किया।

3. हमने दोनों पक्षों को सुना है तथा निम्न प्राधिकारियों के आदेशों का अवलोकन किया है। हमने पाया कि वर्तमान अपीलों में, निर्धारिती को उचित एवं प्रभावी अवसर नहीं दिया गया था तथा विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रकरणों के गुणागुण का उचित रूप से परीक्षण किए बिना आदेश पारित किया था जो कि न्यायसंगत नहीं है। इसके अतिरिक्त, क्वांटम अपील को भी अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 10.03.2021 के द्वारा विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) की फाईल में प्रतिप्रेषित किया गया है। अतः, न्याय के हित में, हम विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश को अपास्त करना उपयुक्त समझते हैं। यह अपीलें निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात विधि के अनुसार गुणागुण पर निर्णयित करने के निदेश के साथ विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) की फाईल में प्रतिप्रेषित की जाती हैं तथा निर्धारिती को भी इस संबंध में विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष उपस्थित होने/ सहयोग करने का निदेश दिया जाता है।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपीलें सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती हैं ।

यह आदेश 25.06.2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-  
(मधुमिता रॉय)  
न्यायिक सदस्य

हस्ता/-  
(मनीष बोरड)  
लेखा सदस्य

दिनांक : 25.06.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल